



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 17.05.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गौकशी व हत्या के प्रयास जैसे गम्भीर मुकदमों में वांछित चल रहे 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा/ 02 जिन्दा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहानरपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगाता संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 16.05.2025 को दिन में प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आपके थाने से गौकशी के मुकदमें में वांछित चल रहा बदमाश शाहजहाँपुर चौराहे पर आने वाला है। सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम शाहजहाँपुर सर्विस रोड पर चैकिंग के दौरान तेज गति से एक मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रूकने का ईशाना किया गया नहीं रूका और तेज गति से मोटरसाइकिल घुमाकर भागने लगा जिस कारण मोटरसाइकिल गिर गयी। संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर भागने लगा पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो संदिग्ध बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर और जंगल ग्राम हैदरपुर के आम के बाग में घुस गया थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर संदिग्ध बदमाश को गिरफ्तार किया गया। जिसकी पहचान **अभियुक्त गुलशेर उर्फ काला उर्फ बाल्लू पुत्र जरीफ उर्फ बिजय निवासी पभारी थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा** के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 खोखा/02 जिन्दा कारतूस बरामद। पुलिस टीम द्वारा शाहजहाँपुर से चौराहे से अभियुक्त की मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लेकर थाने लाया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 168/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। **अभियुक्त गुलशेर उपरोक्त थाना सरसावा पर पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 92/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व मु0अ0सं0 104/25 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित** चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:** - अभियुक्त गुलशेर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने व मेरे एक साथी ने मिलकर कुछ समय पहले यमुना के जंगल ग्राम ढिक्का कला मे गौकशी की घटना की थी हम लोग आवारा घूमते गौवंशो की तलाश मे घूमते फिरते रहते है। आज भी मै शाहजहंपुर क्षेत्र मे अपनी मोटर साईकिल स्पलैन्डर से आवारा गौवंशो की तलाश मे घूम रहा था तभी सामने से पुलिस को चैकिंग करते देख मै डर गया और वही पर अपनी मोटरसाइकिल को गिराकर बचने का प्रयास करते हुऐ हाईवे व रेलवे लाईन पार करता हुआ भागने लगा जिसमे मेरे बांये पैर के अंगूठे मे तथा घुटने मे चोट लग गयी। मै बचते हुए एक आम के बाग मे छिप गया लेकिन पुलिस मेरा पीछा कर रही थी तो मैने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने मुझे घेर घोटकर पकड लिया।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त**

गुलशेर उर्फ काला उर्फ बाल्लू पुत्र जरीफ उर्फ बिजय निवासी पभारी थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा

### बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### अभियुक्त गुलशेर उर्फ काला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 92/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 104/25 धारा 109,3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 297/2020 धारा 120बी,380,411,457,458,461 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 315/2020 धारा 307 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 530/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 128/2020 धारा 216,380,427,457,511 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 191/2020 धारा 216,380,411,427,457,458,461 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 125/09 धारा 148,149,323,452,506 भादवि थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा
9. मु0अ0सं0 139/17 धारा 342,365,366,376डी,506 भादवि थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा
10. मु0अ0सं0 115/20 धारा 414 भादवि व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2551 विक्रम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 96 विक्रान्त थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2504 रवि कुमार पिप्पल थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17-05-2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित / वारण्टी की अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17/05/2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्तगण **1. सारिक पुत्र जमील नि0 बाढि माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 2543/24 व मु0अ0स0 46/13 धारा 379/411 भादवि (मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0,द्वितीय सहारनपुर) में, **2. फय्याज पुत्र मेहन्दी हसन नि0 बुढपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 753/25 व मु0अ0स0 48/2001 धारा 380 भादवि (मा0 न्याया0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर) में, **3. सन्दीप पुत्र सीरिया नि0 मौ0 गांधीनगर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 1125/19 व मु0अ0स0 118/19 धारा 135 विद्युत अधि0 (मा0 न्याया0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर) में, **4. ईसा पुत्र फकीरा नि0 कुंडा कला थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 2260/25 व मु0अ0स0 169/16 धारा 323/324/504/506/325 भादवि (मा0 न्याया0 ए0सी0जे0एम0 द्वितीय सहारनपुर), **5. छोटा उर्फ वेद प्रकाश पुत्र नगीना नि0 ग्राम सिकन्दरपुर गौसगढ़ थाना गंगोह जिला सहारनपुर** व **6. राजबीर पुत्र नगीना नि0 ग्राम सिकन्दरपुर गौसगढ़ थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 7135/24 व मु0अ0सं0 138/24 धारा 323/504/506 भादवि (मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर कक्ष सं0 20 सहारनपुर) में को थाना क्षेत्र गंगोह से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पता:-**

1. सारिक पुत्र जमील नि0 बाढि माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. फय्याज पुत्र मेहन्दी हसन नि0 बुढपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. सन्दीप पुत्र सीरिया नि0 मौ0 गांधीनगर थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. ईसा पुत्र फकीरा नि0 कुंडा कला थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. छोटा उर्फ वेद प्रकाश पुत्र नगीना नि0 ग्राम सिकन्दरपुर गौसगढ़ थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 6 -राजबीर पुत्र नगीना नि0 ग्राम सिकन्दरपुर गौसगढ़ थाना गंगोह जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष मरोठिया थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री बृजलाल गंगवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री जाकिर खान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री अशोक सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. हे0का0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

7. है0कां0 258 श्री अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. का0 1663 सचिन खोखर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
9. का0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 17.05.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त**  
**को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.11.2024 को वादिया रईशा पत्नी शब्बीरा निवासी ग्राम भारी थाना नानौता जिला सहारनपुर द्वारा अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र शब्बीरा पर जान से मारने की नीयत से हमला करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 263/24 धारा 109/115(2)/118(1)/352 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण/आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.05.2025 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त इरफान पुत्र शफीक निवासी ग्राम भारी दीनदारपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम भारी दीनदारपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 7.11.2024 को हमारी लडाई नाजिम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम भारी दीनदारपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर से हो गयी थी, जब हम सब इकट्ठे बैठे थे तो नाजिम दोबारा हमे गाली देते हुए आया तो हमने एक राय होकर इसे मारना चाहा परन्तु यह बचकर भाग गया था मुझसे गलती हो गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

इरफान पुत्र शफीक निवासी ग्राम भारी दीनदारपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 17.05.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त**  
**को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.11.2024 को वादिया रईशा पत्नी शब्बीरा निवासी ग्राम भारी थाना नानौता जिला सहारनपुर द्वारा अभियुक्त द्वारा वादिया के पुत्र शब्बीरा पर जान से मारने की नीयत से हमला करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 263/24 धारा 109/115(2)/118(1)/352 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण/आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.05.2025 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त इरफान पुत्र शफीक निवासी ग्राम भारी दीनदारपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम भारी दीनदारपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 7.11.2024 को हमारी लडाई नाजिम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम भारी दीनदारपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर से हो गयी थी, जब हम सब इकट्ठे बैठे थे तो नाजिम दोबारा हमे गाली देते हुए आया तो हमने एक राय होकर इसे मारना चाहा परन्तु यह बचकर भाग गया था मुझसे गलती हो गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

इरफान पुत्र शफीक निवासी ग्राम भारी दीनदारपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 17.05.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर**

**नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 500 ग्राम चरस नाजायज बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 16.05.2025 को गस्ता/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त शोएब उर्फ ईमानदार पुत्र शराफत अली निवासी आजाद कालोनी गली नं0-12 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर को दर्पण सिनेमा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 500 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 142/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। अक्सर मुझे पैसे की कमी का सामना करना पड़ता है। अधिक पैसे कमाने के लिये मैं चरस को सस्ते दाम में खरीदकर अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

शोएब उर्फ ईमानदार पुत्र शराफत अली निवासी आजाद कालोनी गली नं0-12 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

### **बरामदगी -**

➤ 500 ग्राम चरस नाजायज

### **आपराधिक इतिहास अभि0 शोएब उर्फ ईमानदार-**

1. मु0अ0सं0 105/2023 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मंडी जनपद सहारनपुर,
2. मु0अ0सं0 492/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मंडी जनपद सहारनपुर,
3. मु0अ0सं0 785/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मंडी जनपद सहारनपुर,
4. मु0अ0सं0 218/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मंडी जनपद सहारनपुर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.05.2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैरस्टर अधिनियम में वांछित चल रहे 02 शातिर अभियुक्तगण को अवैध असलाह 01 तमंचा/कारतूस व 01 चाकू नाजायज के साथ किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर गैरस्टर अधिनियम में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तगण 1. कुनाल शर्मा पुत्र सेवाराम शर्मा निवासी पवन विहार टेलीफोन एक्सचैन्ज कालौनी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर 2. क्षितिज शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी शिवपुरी कालौनी आईटीआई दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर को सर्किट हाऊस के पास खाली पड़े ग्राऊण्ड के पास बन्द पडी कोठी के निकट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कुनाल शर्मा उपरोक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू तथा अभियुक्त क्षितिज उपरोक्त के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 143/2025 धारा 3/4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण कुनाल शर्मा व क्षितिज उपरोक्त ने बताया कि हम घटना करते समय अपनी सुरक्षा के लिये व राह चलते लोगो को डराने धमकाने के लिये यह असलाह अपने पास रखते है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. कुनाल शर्मा पुत्र सेवाराम शर्मा निवासी पवन विहार टेलीफोन एक्सचैन्ज कालौनी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. क्षितिज शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी शिवपुरी कालौनी आईटीआई दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर।
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 01 अवैध चाकू।

### **अभियुक्त कुनाल शर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 392/24 धारा 304/317(2) बीएनएस चालानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 139/2025 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 143/2025 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

### **अभियुक्त क्षितिज शर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 392/24 धारा 304/317(2) बीएनएस चालानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर,।
2. मु0अ0सं0 139/2025 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 143/2025 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

5. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
9. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
- 10.का0 1808 आशीष राठी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
- 11.का0 2033 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
- 12.का0 272 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 17.05.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मुकदमें में 01**

**वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आवेश पुत्र नामालूम निवासी ग्राम सड़क दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 105/25 धारा 64(2)/137(2)/115(2)/351(2) भारतीय न्याय संहिता व व 5(L)/6 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.05.2025 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **आवेश पुत्र महताब निवासी म0न0 861/ए बादशाही मस्जिद वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** हाल निवासी ग्राम सड़क दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर को ट्रासपोर्ट नगर के पीछे सड़क दूधली जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

आवेश पुत्र महताब निवासी म0न0 861/ए बादशाही मस्जिद वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर हाल निवासी ग्राम सड़क दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0का0 354 संजीव कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0का0 218 अय्यूब, थाना जनकपुरी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 17.05.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 07.02.2025 को वादी श्री प्रशान्त उपाध्याय पुत्र श्री सी0जी0 उपाध्याय निवासी ग्राम व पत्रा0 रसिन चित्रकूट उ0प्र0 हाल पता जेलर जिला कारागार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर पर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा Hon'ble National Special Court (Division Bench Rashtrapati Bhawan) Head of Department His Excellency President Mahodika. Rashtrapati Bhavan New Delhi-110004 (presidentofindia@rb.nic.in) (Subordinate Bench) का कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध बन्दी अजय कुमार पुत्र रामपाल निवासी झरौली बहलोलपुर थाना-सरसावा जनपद सहारनपुर को समय पूर्व रिहाई किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जिला कारागार सहारनपुर एवं अन्य संस्थानों को प्रेषित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। जिसके संबंध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0- 39/24 धारा 318(4)/337/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त ईश्वर चन्द शर्मा पुत्र वेद प्रकाश निवासी ग्राम सलौनी पीर माजरा थाना देवबन्द सहारनपुर हाल निवासी केयर अरविन्द कुमार शर्मा एडवोकेट पूर्वी दीनदयाल कालोनी अम्बर तालाब निकट दुर्गा चौक थाना गंगनहर रूडकी हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

ईश्वर चन्द शर्मा पुत्र वेद प्रकाश निवासी ग्राम सलौनी पीर माजरा थाना देवबन्द सहारनपुर हाल निवासी केयर अरविन्द कुमार शर्मा एडवोकेट पूर्वी दीनदयाल कालोनी अम्बर तालाब निकट दुर्गा चौक थाना गंगनहर रूडकी हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0निरी0 श्री विजय सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।
2. उ0निरी0 श्री प्रेमराज सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 103 राजेन्द्र कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.05.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना देवबंद, पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया**  
**गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 16.05.25 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सारिक पुत्र गुलशेर निवासी धर्मपुर सरावगी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत नीयत से छेडछाड करने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 295/2025 धारा 64(1)/ 351(2) बीएनएस व ३/4(2) पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सारिक पुत्र गुलशेर निवासी धर्मपुर सरावगी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को साखन नहर के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सारिक पुत्र गुलशेर निवासी धर्मपुर सरावगी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 2398 अमरजीत थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 2211 राहुल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक 17-05-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा पोक्सो एक्ट के मकुदमें में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 24 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.12.2023 को अभियुक्त 1.कार्तिक उर्फ के0पी0 पुत्र बालकिशन निवासी मौ0 हरिनगर थाना देबबंद जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पर मु0अ0स0-716/2023 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना देबबंद जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-857/2024 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 17.05.2025 को अभियुक्त 1.कार्तिक उर्फ के0पी0 पुत्र बालकिशन को मु0अ0स0-716/2023 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 24 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती चंचल पुण्डीर  
विवेचक उपनिरीक्षक श्री रकम सिंह  
पैरोकार है0का0 विपिन कुमार थाना देबबंद जनपद सहारनपुर